<u>न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर</u>

पीठासीन अधिकारी – **जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस.**

प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं.– 416 / 2025

सीआईएस सं.–24 / 2026

सीएनआर सं.– RJAL020199612026

पुलिस थाना– अरावली विहार, अलवर

अपराध अंतर्गत धारा– 318(2), 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66डी आईटी एक्ट

1. रमेशचंद पुत्र लखमीचंद, उम्र 55 साल,

2. शशिकांत पुत्र लखमीचंद, उम्र 50 साल, निवासीयान– चूला, पुलिस थाना हरसौरा, जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य

——अप्रार्थी / परिवादी

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023</u>

उपस्थितः–

1. श्री सतीश कुमार कसाना, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अभियोजन अधिकारी– अप्रार्थी / राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक : 01.08.2026</u>**

01. यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। नकल अभियोजन अधिकारी को दिलायी गयी।

02. बहस प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का आरोपित अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के कहीं भागने या रूहपोश होने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण आदेशानुसार जमानत–मुचलके पेश करने को तैयार हैं। प्रार्थीगण से प्रकरण में कोई बरागदगी व अनुसंधान शेष नहीं है और प्रकरण के विचारण में समय लगने की भी सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

03. जबकि अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का कडा विरोध करते हुए प्रार्थी / अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित है कि दिनांक 27.09.2025 को, परिवादी हरिमन मीणा उ.नि. पुलिस थाना अरावली विहार द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के समक्ष एक तहरीर रिपोर्ट इन संक्षिप्त तथ्यों की प्रस्तुत की गयी कि महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज जयपुर के आदेश तथा पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर के पत्रांक द्वारा म्यूल बैंक खातो की लिस्ट उपलब्ध करवायी गई है जिनमें से इण्डियन ओवरसीज बैंक के खाता नम्बर 38502000002280 की जांच परिवादी द्वारा की गई तथा दौराने जांच इण्डियन ओवरसीज बैंक के खाता नम्बर 38502000002280 का इण्डियन ओवरसीज बैंक से ओपनिंग फार्म, केवाईसी डीटेल व स्टेटमेन्ट प्राप्त किया गया तो खाता धारक का नाम पता एवं बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त किया गया तो उक्त खाता संख्या का खाता धारक का नाम एसएस एन्टरप्राईजेज सैफली एण्ड पावर टूल सप्लायर्स, अलवर के प्रोपराईटर

1–रमेशचन्द शर्मा, 2–शशिकान्त शर्मा होना पाया गया। उक्त खाता से लिंक मोबाईल नम्बर 8769814991 होना पाया गया। जिसके संबंध में शिकायत चैक करवायी गई तो उक्त बैंक खाता पर कुल 49 साईबर फ्रोड की शिकायते दर्ज होना पाई गई। उक्त बैंक खाता दिनांक 18.10.2024 खुलवाना पाया गया है। इस पर शोप नम्बर 02 बोदन कॉलोनी जयपुर रोड अलवर पर जाकर एसएस एन्टरप्राईजेज सैफली एण्ड पावर टूल सप्लायर्स की फर्म के बारे में जानकारी की गई तो मौके पर कोई फर्म नहीं होना पाई गई तथा कभी भी कोई फर्म खुलना नही पाया गया। उक्त फर्म के बारे में जरिये मुखबीर जानकारी मिली कि रमेशचन्द व शशिकान्त शर्मा ने अन्य लोगो के साथ मिलकर उक्त फर्जी फर्म खोली है एवं आम लोगो से शेयर मार्केट में इनवेस्टमेन्ट के नाम का झांसा देकर उक्त फर्जी फर्म के उक्त बैंक खाता में पैसा डलवाकर काफी लोगो के साथ करोडो रूपये की साईबर ठगी की है... आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 416/2025, अंतर्गत धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(ए) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।

05. बाद अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(ए) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 30.07.2026 को गिरफ्तार किया जाकर, न्यायालय में पेश किया जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

06. प्रार्थी/अभियुक्त **रमेशचंद** के विरुद्ध केस डायरी पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न है :–

क्र.सं.	मु.नं.	धारा	थाना
1.	140/95	420, 467, 468, 471 आईपीसी	विधायकपुरी, जिला जयपुर

07. प्रार्थी/अभियुक्त **शशिकांत** के विरुद्ध केस डायरी पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड **निल** है।

08. केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(ए) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट के गंभीर आक्षेप अधिरोपित किये गये है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में साईबर फ्रॉड करके रुपयों की ठगी की गई है। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ रही है। अभियुक्तगण द्वारा दिए गए तर्क गुणावगुण से संबंधित है।

09. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए, गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश निम्नवत् है;

–:: आदेश ::–

10. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रमेशचंद** पुत्र लखमीचंद, उम्र 55 साल, **2. शशिकांत** पुत्र लखमीचंद, उम्र 50 साल, निवासीयान– चूला, पुलिस थाना हरसौरा, जिला कोटपूतली–बहरोड, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 3, जिला–अलवर

11. आदेश आज दिनांक **01.08.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 3, जिला–अलवर